# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

**प्रकरण सं. 39/2015 (निगरानी पंचायत)** **दायर दिनांक 07.09.2015**

श्री कालूराम पिता लक्ष्मण जाट, निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**निगराकार/प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री भैरूलाल पिता परथू जाट,निवासी निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।
2. पंचायत समिति विकास अधिकारी गंगरार जरिये सरकार
3. सरपंच ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा, पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**–गैर निगराकारगण/(अप्रार्थीगण)**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जोजरों का खेड़ा पंचायत समिति गंगरार द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 24.02.2012

**प्रकरण सं. 40/2015 (निगरानी पंचायत)** **दायर दिनांक 07.09.2015**

श्री कालूराम पिता लक्ष्मण जाट, निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**निगराकार/प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री प्रथू पिता नन्दा जाट,निवासी निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।
2. पंचायत समिति विकास अधिकारी गंगरार जरिये सरकार
3. सरपंच ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा, पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**–गैर निगराकारगण/(अप्रार्थीगण)**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जोजरों का खेड़ा पंचायत समिति गंगरार द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 24.02.2012

**प्रकरण सं. 41/2015 (निगरानी पंचायत)** **दायर दिनांक 07.09.2015**

श्री कालूराम पिता लक्ष्मण जाट, निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**निगराकार/प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री लहरू पिता परथू जाट,निवासी निवासी अमरपुरा, उर्फ बावडीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।
2. पंचायत समिति विकास अधिकारी गंगरार जरिये सरकार
3. सरपंच ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा, पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

**–गैर निगराकारगण/(अप्रार्थीगण)**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जोजरों का खेड़ा पंचायत समिति गंगरार द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 24.02.2012

**<u>उपस्थित</u> :–** वकील निगराकार :– श्री संजय मौड
वकील गैर निगराकार संख्या 01 :– श्री भारत भूषण प्रधान

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 16.01.2019**

उपरोक्त तीनों उनवान प्रकरणों के तथ्य एकसमान होने से एक ही साथ बहस सुनी गई व निर्णय हेतु रखी गई तथा एक निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर संलग्न किया जावें।

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा पंचायत समिति गंगरार द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जारी किये गये तथाकथित पट्टे नियमो की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जारी करने एव तत्कालीन सरपंच द्वारा पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए उक्त पट्टा जारी किये जाने सबंध अवैधनिकता की जानकारी होते हुए ही गैर निगराकार सियत से बिना विलम्ब किये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा द्वारा इस प्रकरण पर कार्यवाही के अनुसार विपक्षी संख्या 01 को पुश्तैनी पट्टा की प्रक्रिया अपनाते हुए यह

कार्यवाही नियमों के विपरीत होने तथाकथित पट्टा पूर्णतया विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत हाने से उनके पुश्तैनी पट्टे निरस्त योग्य है। इनका यह कथन है कि पंचायत द्वारा आबादी भूमि का भूखण्ड उस स्थिति में आपसी बातचीत से दिया जा सकता है। जब यह भूमि निलामी से नही दी जा सकती हो और आवेदनकर्ता एक ही हो ऐसी आबादी भूमि विक्रय विलेख डीएलसी दर से राशि जमा होने के बाद जारी होने चाहिये थे, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कम राशि लेकर कार्यवाही विवरण के अनुसार पट्टा जारी किया गया है जबकि इस गांव की डीएलसी रेट ली जानी चाहिये थी। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में पट्टा जारी कर हानि पहुचाई है। ग्राम पंचायत की धारा 157 एक्ट के तहत् पुश्तैनी पट्टा दिया गया है जबकि मौके पर खाली प्लॉट पडे हुए है। निगराकार का 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है। जबकि मौके पर कोई मकान निर्माण नही होकर खाली प्लाट पडे हुए है तथा आवंटी का कब्जा भी नही है। प्लाट संख्या 11 प्लाट संख्या 12 एवं प्लाट संख्या 10 दिनांक 24.02.2012 को जारी किये गये है पट्टे के पीछे मानचित्र मे लाल स्याही से चिन्हित नही होकर अंकन नही है फिर भी ग्राम पचायत द्वारा अवैध प्रक्रिया को अपनाते हुए पुश्तैनी पट्टा जारी कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है तथा एक ही परिवार के व्यक्तियो को खाली पडे भूखण्डों का जबरन कब्जा दिलाने पर ग्राम पंचायत आमाद है, जबकि गैर निगराकार करीब 90 सालों से उक्त विवादित प्लाट संख्या 11, प्लाट संख्या 12 एवं प्लाट संख्या 10 पर खुला व निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत जोजरो का खेडा के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने नियमो की अनदेखी करते हुए अपने चहेतो को पट्टों को बंदरबांट कर दी है जिनका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुए गैरनिगराकार संख्या 1 को गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा दिनाक 24.02.2012 को पट्टा संख्या 11, पट्टा संख्या 12 एवं पट्टा संख्या 10 जारी किया गया जिस पर निगराकार का कब्जा है। बिना कब्जे के ग्राम पचांयत जोजरों का खेडा द्वारा जारी पट्टा अवैध व अप्रभावशील है निगराकार का विवादित प्लाट वाली भूमि पर कब्जा है जिसका ग्राम पंचायत उक्त पट्टे की आड लेकर गैर निगराकार सख्या 01 से

मिलिभगत कर कब्जा हटाने पर आमाद है। जिसे हटाने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किये गये पट्टा संख्या 11, पट्टा संख्या 12 एवं पट्टा संख्या 10 दिनांक 24.02.2012 को खारिज किया जावें।

प्रकरणों को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रेकार्ड प्राप्त किया गया।

प्रकरण पर विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 24.05.2017 को जवाब प्रस्तुत किया कि यह निगरानी माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है क्योंकि राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के अनुसार कोई भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने पर उसकी अपील का प्रावधान है और वह अपील पंचायत समिति में प्रस्तुत होनी चाहिए। पंचायत समिति के निर्णय के पश्चातही माननीय न्यायलय में कोई निगरानी संभव है और इस भांति यह निगरानी पोषणीय नही है। इसी भूमि के संबंध में निगराकर्ता ने माननीय सिविल न्यायाधीश गंगरार के यहां एक व्यवहार वाद भी प्रस्तुत किया और उस व्यवहार वाद में कोई स्थगन आदेश नही मिला और इसलिए विपक्षी संख्या 01 से माननीय सिविल न्यायाधीश गंगरार में समझौता कर लिया और उस समझौते के आधार पर डिक्रि भी प्रदत्त की गयी, जिसकी फोटोप्रति भी संलग्न की जा रही है, इसके अनुसार जिस समझौते से कुछ भाग विपक्षी सख्या 01 ने प्रार्थी के पक्ष में छोडा था और उस राजीनामा से निर्णित सिविल मुकदमें के निर्णय के कारण अब यह निगरानी पोषणीय नही है। अतः निगरानी निगराकार मय हर्जे खर्जे के निरस्त फरमाई जावें।

प्रकरणों पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि माननीय सिविल न्यायाधीश, गंगरार के प्रकरण संख्या 26/2015 निर्णय दिनांक 17.10.2015 उनवान कालु पिता लक्ष्मण जाट बनाम लेहरू पिता परथु जाट वगैराह निवासीयान अमरपुरा में पारित डिक्रि अनुसार आदेश प्रदान किया जावें तथा ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा द्वारा पट्टा संख्या 11, पट्टा संख्या 12 एवं पट्टा संख्या 10

को निरस्त किया जावें तथा उक्त पट्टों के स्थान पर माननीय सिविल न्यायाधीश गंगरार के निर्णय अनुसार पक्षकरों को नवीन पट्टा जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा को किया जावें।

प्रकरण पर उभय पक्ष बहस सुनी गयी। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टाय प्रकरण पर पक्षकरान के मध्य राजीनामा होकर माननीय सिविल न्यायालय गंगरार द्वारा डिक्रि जारी की गयी है। वर्तमान में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है तथा माननीय सिविल न्यायालय गंगरार के निर्णय अनुसार नवीन पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। चुंकि प्रकरण पर माननीय न्यायालय में पक्षकारो के मध्य आपसी समझोता होकर समझौता अनुसार दोनों पक्षकरों के मध्य भविष्य में कोई विवाद नही करेगें इस बाबत भी पाबंद किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त इस प्ररकण मे पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रहती है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 पट्टा संख्या 12 एवं पट्टा संख्या 10 दिनांक 24.02.2012 को निरस्त किया जाता है। संबंधित पक्षकार विधिवत पट्टा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत जोजरों का खेडा का संबंधित अभिलेख विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगरार के माध्यम से भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ